

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 157/3470

पटना, दिनांक 28.3.19

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 19/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख-रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 0163.27.01- लघु कार्य मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर, वैशाली, खगड़िया, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा, पटना, पूर्णिया एवं सहरसा के कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार हेतु द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में रू० 5,37,33,103/- (पाँच करोड़ सैतीस लाख तैतीस हजार एक सौ तीन) मात्र की स्वीकृति के आलोक में आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में विषय शीर्ष-0163.27.01 लघु कार्य मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू० 5,37,33,103/- (पाँच करोड़ सैतीस लाख तैतीस हजार एक सौ तीन) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 0163.27.01- लघु कार्य मद में विभागीय पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 1615, दिनांक 28.03.19 द्वारा किये गये अतिरिक्त उपबंध से विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 1616 दिनांक 28.03.2019 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

कृ० पृ० उ०

(च) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 30 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 28.3.19

ज्ञापांक 157/316

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 28.3.19

ज्ञापांक 157/316

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर, वैशाली, खगड़िया, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा, पटना, पूर्णिया एवं सहरसा/प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप-उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।